

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 496/2016 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

### सरीयत वगैरा बनाम डालुराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील - श्री रतनाराम चौधरी

निर्णय

दिनांक - 11.05.2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प ईशरोल में पेश हुई। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि सरहद मौजा रामनगर नगोणियों की ढाणी, पटवार क्षेत्र ईशरोल, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 566 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 567 रकबा 138.10 बीघा, खसरा सं. 606 रकबा 28.18 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा रामनगर नगोणियों की ढाणी, पटवार क्षेत्र ईशरोल, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 566 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 567 रकबा 138.10 बीघा, खसरा सं. 606 रकबा 28.18 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रूपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना, मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। मौका कमीश्नर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प ईशरोल में सुनाया गया।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/ 850

दिनांक 11/5/18

प्रार्थीगण :-

- 1.सरीयत बेवा मेराब
  - 2.अरबाब
  - 3.नवाब
  - 4.शनिचर पि.खमीचा
  - 5.फातमा बेवा खमीचा
  - 6.सिक्काखां
  - 7.न्याल
  - 8.गफूर पि.लोधी
- जाति मुसलमान, निवासी रामनगर, नगोणियों की ढाणी, (ईशरोल) तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-

- 1.डालूराम पुत्र अलसाराम
- 2.भीखाराम पुत्र रूपाराम
- 3.फूसाराम पुत्र दानाराम
- 4.हंजारीराम
- 5.मूलाराम पि. मंगलाराम जाति मेघवाल,
- 6.उस्मान पुत्र जानू
- 7.उमर पुत्र खानू जाति मुसलमान,
- 8.कानाराम पुत्र चुतराराम
- 9.गिरधारी
- 10.चेतनराम पि.सोनाराम
- 11.मूलाराम पुत्र रतनाराम, जाति जाट, निवासी रामनगर, नगोणियों की ढाणी (ईशरोल) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 496/2016

दिनांक : 11.05.2018

### आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र ईशरोल के मौजा रामनगर नगोणियों की ढाणी के खेत खसरा सं. 566 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 567 रकबा 138.10 बीघा, खसरा सं. 606 रकबा 28.18 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार चौहटन को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

मौका कमिशनर को आवश्यकता होने पर सम्बंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है । कमिशनर फीश प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे । नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

(भूपेन्द्र कुमार यादव )

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

दिनांक

11/5/18

क्रमांक/भू.अ./2018/ 851 to 855

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण सरीयत वगैरा
3. विप्रार्थीगण डालूराम वगैरा
3. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेड्वा/धौरीमन्ना/बाखासर

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन